

निविदा सूचना।

बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर स्थित यूटिलीटी भवन में डेयरी का आवंटन किया जाना है। वर्तमान में बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर के परिसर में लगभग 13,00 पुलिस पदाधिकारी/कर्मि कार्यरत/प्रशिक्षणरत हैं। उक्त पदाधिकारियों/कर्मियों के उचित दर डेयरी से संबंधित उत्पादों को उपलब्ध कराना है। डेयरी को इकरारनामा के आधार पर 11 (ग्यारह) माह की अवधि के लिए आवंटित किया जाना है। निविदा हेतु डेयरी दुकानों का विवरण निम्न प्रकार है :-


क सं०	दुकान का प्रकार	दुकान का क्षेत्रफल	किराया
1.	डेयरी मिल्क पार्लर से संबंधित सभी उत्पाद यथा लस्सी, पेडा, राबडी, घी, पनीर, रसगुल्ला, गुलाबजामुन, छांछ इत्यादि समानों को उचित दर पर उपलब्ध कराना होगा।	11X9=90 वर्ग फीट	11/-रु प्रति वर्ग फीट की दर से 990/-रु0 प्रति माह है। इसके अतिरिक्त बिजली बिल अलग से देय होगा।

**निविदा डालने की संक्षिप्त प्रक्रिया :-**

01	निविदा डालने की अंतिम तिथि एवं समय	24.05.2021 को 17.00 बजे तक।
02	निविदा खोलने की तिथि एवं समय	25.05.2021 को 11.00 बजे

1. उक्त डेयरी दुकान 11(ग्यारह) माह के अवधि हेतु आवंटित की जायेगी।
2. सभी निविदादाता अपनी-अपनी निविदा पुलिस अधीक्षक सह सहायक निदेशक, बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर के नाम से दिनांक-24.05.2021 को समय 17.00 बजे तक अपनी-अपनी निविदा बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर में निर्धारित निविदा बॉक्स में जमा कर सकते हैं।
3. बिना अतिरिक्त राशि लिये डेयरी से संबंधित सभी पेय एवं खाद्य पदार्थों का वितरण पुलिस अकादमी, राजगीर में करना होगा।
4. डेयरी से संबंधित समानों में मूल्य परिवर्तन की जानकारी अकादमी को बतानी होगी।
5. निविदा में भाग लेने वाले निविदाकर्ता, निविदा खोलने की तिथि को बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर में स्वयं उपस्थित रहेंगे अथवा प्राधिकृत व्यक्ति को भेज सकते हैं, जो अपना पहचान पत्र भी साथ में रखेंगे।
6. निर्धारित समयावधि के बाद आने वाले निविदा को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
7. निविदा में भाग लेने वाले निविदादाता के पास डेयरी को-ओपरेटिव लि० का लाईसेंस होना अनिवार्य है।
8. निविदाकर्ता को पूर्व सरकारी प्रतिष्ठानों/गैर सरकारी प्रतिष्ठानों में सप्लाय/कार्य करने का अनुभव के बारे में देना होगा जो आवेदन प्रपत्र की कंडिका-6 में भरें (अनुभव प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)।
9. निविदा में भाग लेने वाले निविदादाता डेयरी का संचालन स्वयं/अपने कर्मियों के द्वारा करना होगा।
10. निविदा में भाग लेने वाले निविदादाता के पास जी०एस०टी० अपडेट होना अनिवार्य है।
11. निविदा में भाग लेने वाले निविदादाता के पास चरित्र प्रमाण-पत्र होना अनिवार्य है।
12. निविदा का चयन खुली निविदा के माध्यम से किया जायेगा, जो निविदादाता अकादमी को सर्वोच्च लाभ देंगे उस निविदादाता को डेयरी आवंटित कर दी जायेगी।
13. निविदा में चयन होने के उपरांत चयनित निविदादाता को डेयरी आवंटन हेतु जमानत राशि के रूप में 25,000/- रु० अकादमी में जमा करनी होगी। अद्योहस्ताक्षरी को निविदा के किसी शर्त को शिथिल करने/स्वीकृत करने/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रहेगा।

14. निविदा में भाग लेने हेतु आवेदन पत्र के साथ आधार कार्ड का छायाप्रति लगाना अनिवार्य है।
15. यह निविदा सूचना एवं नियमावली अकादमी के वेबसाइट [www.bpa.bihar.gov.in](http://www.bpa.bihar.gov.in) से डाउनलोड कर सकते हैं।
16. निविदा में भाग लेने वाले निविदाकर्ता, निविदा खोलने की तिथि को बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर में स्वयं उपस्थित रहेंगे अथवा प्राधिकृत व्यक्ति को भेज सकते हैं, जो अपना पहचान पत्र भी साथ में रखेंगे।

  
(प्राणतोष कुमार दास)

पुलिस उप-महानिरीक्षक सह उप-निदेशक,  
बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर।

बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर की परिसम्पति का अनुज्ञापति के आधार पर संचालन हेतु  
निविदा

लिफाफा नं०-1 प्रपत्र 'क'  
आवेदन पत्र का प्रपत्र

1. दुकान संख्या एवं प्रकार  
(जिसके लिए आवेदन दिया जा रहा है)
2. आवेदक का नाम :  
(व्यक्ति/एंजेसी/फर्म इडिभिजुअल:  
संबंधित कागजात की प्रतिलिपि संलग्न करें)
3. पिता का नाम :
4. वर्तमान एवं स्थाई पता :  
(दूरभाष सहित)
5. अनुभव/दक्षता :

पासपोर्ट  
साईज एक  
फाटो

**डेयरी आवंटन की शर्तें (तकनिकि बिड)**

1. सभी निविदा कर्ता को प्रपत्र के साथ डेयरी दुकान/प्रतिष्ठान का जी०एस०टी० पंजीकरण प्रमाण पत्र एवं GST का अद्यतन छायाप्रति, पुलिस चरित्र सत्यापन रिपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं आवासीय प्रमाण पत्र की छायाप्रति लगाना अनिवार्य है।
2. निविदाकर्ता को पूर्व सरकारी प्रतिष्ठानों/ गैर सरकारी प्रतिष्ठान में सप्लाय/कार्य करने का अनुभव के बारे में देना चाहिए जो प्रपत्र कंडिका-5 में भरें (अनुभव प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)।
3. निविदाकर्ता को आयकर रिटर्न विगत तीन वर्षों का लगाना होगा।
4. निविदा में भाग लेने हेतु निविदाकर्ता को 1,000/- (एक हजार) (Non-refundable) रूपये का पुलिस उप महानिरीक्षक सह उप निदेशक, बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर को भुगतये बैंक ड्राफ्ट जो राजगीर स्थित किसी बैंक में भुगतान किया जा सके, जमा करना होगा।
5. फुड लाइसेंस प्रमाण पत्र की छायाप्रति(खाद्य-पदार्थ से संबंधित दुकानों के लिए)
6. निविदाकर्ता का अन्डरटैकिंग :

- मेरे द्वारा निविदा नियमावली एवं अन्य नियम तथा शर्त अच्छी तरह पढ़नें/समझने के उपरांत यह आवेदन दिया जा रहा है। अकादमी द्वारा निर्धारित सभी नियमों/शर्तों के अनुसार आवंटित डेयरी दुकान की संचालन व्यवस्था सुनिश्चित करने का आश्वासन देता हूँ।
- मेरे द्वारा इस आवेदन में भरे गये सभी तथ्य/संलग्न अभिलेख तथा प्रमाण पत्र मेरी जानकारी के अनुसार सत्य एवं सही है। निविदा में किसी स्तर पर गलत पाये जाने पर अकादमी यथोचित आवश्यक कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगी।

**आवेदक का हस्ताक्षर**